इंटीग्रेटेड डेभलपमेंट ऑफ फुड प्रोसेसिंग सेक्टर योजना :– इस योजना के अंतर्गत इंडिभिजुवल इभेस्टर द्वारा किए गए निवेश में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रू0 5 करोड़ मात्र देने का प्रावधान किया गया।

निजी निवेशक एवं एस0पी0भी0 द्वारा योजना का कार्यान्वयन क्रिया जा सकेगा। एस0पी0भी0 के गठन हेतु कम–से–कम पांच उद्यमी/उपक्रम भागीदार हो सकेगें। एस0पी0भी0 द्वारा विकसित किए जाने योग्य कॉमन कलस्टर इनफ्रास्ट्रक्चर हेतु परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ रूपया एस0पी0भी0 को अनुदान देय होगा तथा निजी निवेशक को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत (अधिकतम 5 करोड़ रूपया) देया होगा। परंतु यदि एस0पी0भी0 के द्वारा उत्पादन इकाई लगाई जाएगी तो उसे भी निजी निवेशक के बराबर अनुदान देय होगा।

परियोजना लागत में भूमि, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एवं मशीनरी, अनुसंधान एवं विकास, क्वालिटी कंट्रोल सेंटर, ट्रेड एण्ड डिसप्ले सेंटर, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई (कैपटिभ पावर प्लांट सहित), इफ्लूएण्ट ट्रीटमेंट, निहित होंगे। क्वालिटी कंट्रोल तथा आर0एण्ड डी0 के लिए अनुदान इंडिभिजुबल इंभेस्टर के मामले में भी परियोजना लागत में जोड़ा जायेगा। जहॉ एस0पी0भी उत्पादन का कार्य करती है वहॉ एस0पी0भी0 एवं निजी निवेशक में कोई अन्तर नहीं किया जाना है। वर्त्तमान उद्योगों के क्षमता विस्तार के मामले में योजना के लाभ तभी देय होंगे जब विस्तार योजना के फलस्वरूप क्षमता में कम–से–कम 50 प्रतिशत की वृद्धि होती हो, योजना अंतर्गत निम्नांकित परियोजनाओं को सहायता अनुमान्य किया गया।

(A) हार्ड कम्पोनेन्टस–प्रोसेसिंग एण्ड भैलू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर/इकाइयॉ, एक्सपैंसन एण्ड कैपिसीटी एडिशन टू एक्जिस्टिंग यूनिट्स, टेकनोलॉजीअपग्रेडेशन एण्ड मॉर्डनाईजेशन फिजिकल एण्ड इनभार्मेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर0 एण्ड डी0 क्वालिटी कन्ट्रोल ट्रेनिंग इन्फ्रास्टर्कचर्स आदि।

(B) सॉफ्ट कम्पोनेन्टस– स्किल डेभल्पमेंट तथा मार्केटिंग।

योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु अहर्त्ता प्राप्त निजी निवेशक एवं एस0पीभी0 द्वारा विहित प्रपत्र में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को आवेदन दिया जाना है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है जिस पर प्रोजेक्ट एप्रुभल एण्ड मोनेटरिंग कमिटी का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा चार चरणों में इंडिभिजुवल इंभेस्टर के लिए नो लियन एकाउन्ट तथा एस0पी0भी0 के लिए ट्रस्ट एण्ड रिटेंशन एकाउन्ट (टी0आर0ए0) के माध्यम से अनुदान विमुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया। अनुदान विमुक्त एवं परियोजना की स्वीकृति का प्रावधान उपरोक्त फुड पार्क योजना के प्रावधान के अनुसार रखा गया।

इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित होने वाली नए उद्योगों को अब निम्नांकित सुविधाएँ देय होगीः–

(क) निजी उद्यमियों द्वारा पूर्व में स्थापित इकाई में यदि क्षमता विस्तार 50 प्रतिशत से अधिक है तो उन्हें पुनः अनुदान देय होगा, बशर्ते कि कुल अनुदान 5 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत हो।

(ख) सूद अनुदान 100.00 करोड़ रू0 या उससे अधिक की परियोजना को 5.00 करोड़ का पूँजीगत अनुदान के अतिरिक्त उनके द्वारा टर्म लोन पर छः प्रतिशत सूद अनुदान के रूप में दिया जायेगा। बशर्ते कि इकाई का ऋण खाता नियमित हो। सूद अनुदान इकाई की स्थापना के लिए लिये गये दीर्धावधि ऋण (टर्म लोन) के लिये ही लागू होगा।

(ग) विस्तारण / विशाखन/आधुनिकीकरण करने वाली इकाईयॉ जिनका कुल निवेश 50.00 करोड़ या उससे ज्यादा है, लेकिन 100.00 करोड़ से कम है, उन्हें सूद अनुदान के रूप में कुल 3 प्रतिशत सूद अनुदान के रूप में दिया जाएगा। उपर्युक्त दोनों खंडों में वर्णित सूद अनुदान की गणना प्रत्येक माह के अंत में किया जाएगा।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला/निःशक्त उद्यमियों को इस योजना में निर्धारित अनुदान के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान अनुमान्य होगा।

(ङ) यह योजना अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

(च) वर्तमान में अनुदान 4 किस्तों में दी जाती है। अब यह प्रस्ताव है कि 3 किस्तों में दी जायगी। उस प्रक्रिया में उद्यमियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निवेश नहीं करने की स्थिति में सूद सहित राशि वसूलने का भी प्रावधान किया जायगा। साथ ही उद्यमियों को 5 वर्ष तक उद्योग के स्वामित्व में परिवर्तन नहीं करने की भी शर्त निर्धारित की जाएगी। विशेष परिस्थिति में 25 प्रतिशत तक स्वामित्व परिवर्तन की अनुमति सरकार द्वारा दी जा सकेगी। बिहार में उपलब्ध कुशल श्रमिकों की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी। इसकी संपुष्टी हेतु इकाई के प्रमोटर कार्यरत श्रमिकों की सूची एवं इस आशय का एक शपथ पत्र अनुदान के अंन्तिम किस्त प्राप्त करने से पूर्व पी0एम0ए0 के माध्यम से सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

(छ) इस योजना के तहत किसी भी प्रावधान की व्याख्या एवं समाधान के लिए प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसके सदस्य उद्योग निदेशक, निदेशक, तकनीकी विकास एवं निदेशक खाद्य प्रसंस्करण होंगे।

3. उपर्युक्त प्रावधान पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावित होगा।

4. इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की राशि की निकासी मुख्य शीर्ष– 2852– उद्योग, उप मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लधु शीर्ष –102 औद्योगिक उत्पादकता, मॉग संख्या–23 उप शीर्ष– 0159 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन, विपत्र कोड– पी0 2852801020159, राज्य योजना स्कीम कोड– आई0एन0डी0 5431, से विकलित होगा।

5. इस योजनान्तर्गत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय होगें। जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना से एक मुश्त कर बैंक ड्राफ्ट के रूप में उद्योग मित्र को उपलब्ध कराये जायेगा, जो आदेशानुसार इसका भुगतान उद्यमियों को करेंगे।

6. इस योजना के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व निदेशक खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना पर होगा। राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना को भेजते हुए इसकी एक प्रति विभाग कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या–डी0एफ0पी0/बी01–146/13 के पृष्ठ 64/टि0 पर दिनांक 09.09.2014 को प्राप्त है।